परियोजना का नाम:--

जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत सोनला — मैखुरा मोटर मार्ग से कांचुला — गैन मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 30.10.2009 एवं 31.10.2009 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री मोहन प्रसाद मैखुरी राजस्व विभाग की ओर से श्री कि उपरोक्त प्रस्तावक विभाग की ओर से कु० रजनी जोशी द्वारा संयुक्त निरीक्षण में भाग लिया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु सिविल एवं सोयम वन भूमि उ रिक्त प्रस्तावित आरक्षित / वन पंचायत भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है। किसी व्यक्ति विशेष / ग्रम वासियों की किसी प्रकार की कोई आपित्त नहीं है।

आवेदित वन भूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उसकी सूची संलग्न है।

(अन्य आवश्यक कोई विवरण जो दिया जाना है) ७ मीटर चौड़ाई में ही भूमि ली गयी है, जिसमें मार्ग का निर्माण हेतु 6 मीटर चौड़ाई में ही वृक्षों का पातन किया जायेगा। मार्ग निर्माण हेतु उर् १०० हैं। (1711) मका हिम्पीजल हेतु ०.२२० हैं। कुला ५,०० है। का प्रस्ताव जादित है।

HDSerd 5 किनेष्ठ अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

सहायक अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

पटवारी क्षेत्र

वारा क्षत्र

तह्सीलदार

कर्णप्रयाग

उपजिलाधिकारी

कर्णप्रयाग

जिलाधिकारी

चमोली

बन क्षत्राधिकार। नन्दप्रयाग रेंज

रही ० व० प्रभार

उप प्रभागात्मीवनीधिकारा समो ते उन्तर्भ प्रभाग

मा । उन्तर्भात्रमा

प्रतिहस्ताक्षरित

्उप वन संरक्षक

बदीनाथ वर प्रभान गाँपेद्रवर

प्रतिहस्ताक्षरित

जिलाधिकारी चमोली

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF

(For the forest land to be diverted, under FCA)

	A proposal has been received by this strength B-1131/21101 312-2115 2005 on the tel-
	for diversion under FCA-1980) of 3.780772 ha on forest
	land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of binus supposed the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-
0	of CHAIR SHANDI ON 3140 VILLEN ON SIR! FILCE FILLI ST CONTION THAT FILL
14	the site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated-
	4-5-1)

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col.-2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of:-

Whether any protected archeological/heritage site/defence establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required:-

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.

b) It has been fount that the user agency has violated the forest (Conservation). Act, 1980 provision. A details report as per para 1.9 of chapter-1 para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of proposal.

(Signature)

Office Star (

XX....

Date: 4-5-11

N.B. state the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.

out of(a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/200 FC dated 16-10-200 from Ministry of Environment & Forest, Government of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.